फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

श्रीमति गीता कुमारी बनाम देवीलाल जाट

धारा 117, 128 वाद / प्रा0प0 / अपील प्र0सं0 39/17

31/5/17 बाद जॉच वाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 12/7/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

5/7 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प हमीरगढ़ पर पेश हुई। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर नम्बरान से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

2017, दिनांक 05.06.2017 कम्प कोर्ट– हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी सुश्री रेनु मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 39/2017

1. श्रीमती गीता कुमारी पत्नी भगवानदास वेष्णव निवासी चन्देरिया हाल हमीरगढ, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

–**प्रार्थी**

बनाम

1. देबीलाल पुत्र हजारी जाट निवासी टापरिया खेडा मजरा हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. भेगवानसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. गोपाल लाल पुत्र नारू लाल जाट निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाडा
4. रामेश्वरलाल पुत्र श्री गंगाराम माली निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. शंकर लाल पुत्र श्री गंगाराम माली निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6. राधेश्याम पुत्र श्री गंगाराम माली निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार हमीरगढ

–**अप्रार्थीगण**

चप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 05.06.2017

प्रार्थी की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 30.05.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ प0म0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 3849 रकबा 02–14, 3850 रकबा 07–13, 4126/3849 रकबा 0–15 कुल किता 3 रकबा 11–02 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 30.05.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 07 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने क उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसंर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ प0म0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 3849 रकबा 02–14, 3850 रकबा 07–13, 4126/3849 रकबा 0–15 कुल किता 3 रकबा 11–02 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1200/–रू0 पक्षकार – प्रार्थी राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 05.06.2017 को खुला न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें ।

उपखण्ड अधिकारी